Site Inspection by the DFO/CF/CCF

Name of Project: -Block-B Expansion Opencast project

Proposal no. FP/MP/MIN/44294/2020 Name of District/Division-Singrauli

Date of Inspection: 12.10.2021

Sr. No.	Particular	Inspection	Report by S	DO	
1	Extent in hectares	वन भूमि 631.39 ha			
		राजस्व भूमि	0.00		
2	Location (Lat-Long) of the forest land proposed for Diversion				
	Tot Diversion				
		कराया गया	है जो की निम्न	ांकित है :-	
		Latitude Longitude RF: 276 82° 34 ' 44.933 "E, 24° 11' 41.791 "N 82° 35 ' 12.665 "E, 24° 12' 1.781 "N PF-277 82° 33 ' 17.080 "E, 24° 10' 45.015 "N 82° 33 ' 26.107 "E, 24° 10' 52.728 "N RF-276 82° 34 ' 13.550 "E, 24° 10' 35.681 "N 82° 34 ' 20.363 "E, 24° 10' 25.358 "N 82° 34 ' 8.136 "E, 24° 10' 17.171 "N RF-281 82° 31 ' 53.281 "E, 24° 10' 17.171 "N RF-281 82° 31 ' 53.948 "E, 24° 09' 17.968 "N 82° 32 ' 42.485 "E, 24° 09' 18.147 "N PF-279 82° 32 ' 44.501 "E, 24° 09' 51.556 "N 82° 33 ' 19.629 "E, 24° 10' 43.170 "N 82° 32 ' 35.104 "E, 24° 10' 21.135 "N PF-278 82° 32 ' 14.313 "E, 24° 10' 39.985 "N			
		82° 32 ' 42.30	9 "E, 24° 09' 55.4	446 "N	
		82° 32 ′ 45,24	18 "E, 24° 10' 14.0	663 "N	
3	Legal status of the forest land (Protected Forest,	क्रमांक	आरक्षित/संरक्षित	कक्ष	रकबा
	Reserved Forest, Revenue Forest land or any other		वन भूमि	क्रमांक	(हेक्ट)
	forest land)	1	2	3	4
		1	आरक्षित वन भूमि	RF-281	205.416
				RF-276	71.966
		,	योग :-		277.392
		2	संरक्षित वन भूमि	PF-277	9.70
				PF-278	129.663
				PF-279	214.637
			योग:-		354
			कुल योग :-		631.39
4	Demarcation of the area with temporary claims etc	डीमार्केसन किया गया है।			
5	Any sign of encroachment	नहीं			

	by the user agency. Details of action	
	taken against the user agency in case of violation of the FC Act and	
	guidelines there under.	
7.	Status of vegetation, site quality, species composition etc.	साल सटकठा प्रजाति तथा स्थल गुणवत्ता vth A & Vth B है। घनत्व 0 से 0.3 है।
8.	Importance of area from wildlife	वन मण्डल सिंगरीली के वन परिक्षेत्र waidhan अंतर्गत प्रस्तावित कक्ष
	point of view, Status of wildlife	क्रमांक RF 276, 281 PF 277, 278 एवं 279 कार्य आयोजना के
	(density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies	अनुसार हाथी कारीडोर में सम्मिलित है।
	and other scheduled animals any, endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	इस संबंध में कार्य आयोजना में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-
	census of whathe in this area.	(A)2.47(9) कारीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कारीडोर की
		निरंतरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण , डिपो
		की स्थापना, लेबर कैंप की स्थापना तथा अन्य स्थायी निर्माण कार्य
		आदि नहीं किए जाएंगे।
		(B) 2.47 (10) कारीडोर में स्थित कक्षो को यथा संभव गैर वानिकी
		उपयोग हेतु स्थानांतरित नहीं किया जाए। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी
		हो तो सर्व प्रथम वैकल्पिक कारीडोर की स्थापना की जाए।
	The state of the s	हा ता सव प्रथम वकारपक काराजार का स्वानना का कार्न
9.	Endemism of flora/fauna or any other	नहीं
10	unique ecosystem in the area	बिगड़े वनो के पुनर्स्थापन कार्यवृत्त है।
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the	विभिन्न वर्गा वर्ग पुरस्थानम् वर्गनवृत्त र ।
	working plan and if not, why	
11.	Importance of the area from	नहीं
	historical or religious point of view	
12.	Any dependent persons/families on	नहीं
	this land	
13.	Any displacement of persons	नहीं
	proposed	
14.	Is there any Rehabilitation and	नहीं
	Resettlement Plan for the persons to	
1.5	be affected? Is there any dissenting	
15.	Compensatory forestation proposed	
	is on forest land or non-forest land.	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की गई है।
	Location of this area, suitability of	
	the area for CA. if in the degraded	
	forest land then what is the current	
	working plan prescription for the	
	area? Distance of the non-forest land	
	for CA from the nearest forest area.	
W.	Number of patches in case the area	세계를 하는 사람들은 사람들이 모든 사람들이 되는 것이다.
a Wash	Trained of patenes in case the area	

ना में
ना में
l
- 1
V.
1
कतानुसार
वन भूमि
तहत एन
तना मे
देये जाने क
कक्ष क्रमांव ्
के अनुसा
ग्रा पातधा
तार प्रावधा
गर प्रावधा
प्तार प्रावधा कारीडोर व
7

की स्थापना, लेबर कैंप की स्थापना तथा अन्य स्थायी निर्माण कार्य आदि नहीं किए जाएंगे।

(B) 2.47 (10) कारीडोर में स्थित कक्षो को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु स्थानांतरित नहीं किया जाए। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्व प्रथम वैकल्पिक कारीडोर की स्थापना की जाए।

कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर उक्त कोयला उत्खनन हेतु स्वीकृत दिया जाना अनुशंसित है।

Divisional Forest Officer

Singrauli

Division: Singrauli

Place: Waidhan

Date: